



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

---

सं. 421] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 26, 2019/अग्रहायण 5, 1941  
No. 421] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 26, 2019/AGRAHAYANA 5, 1941

---

## केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

### शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2019

सं. एल-1/236/2018/केविआ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की निबंधन व शर्तों) विनियम, 2019 के निम्नलिखित विनियमों में निम्नानुसार संशोधन होंगे:

1. पृष्ठ 36 में, विनियम 42 के खंड (5) के अधीन विनिर्दिष्ट फार्मूले में, अंक "1000" के स्थान पर "10000" अंक रखे जाएंगे;

2. पृष्ठ 44 में, विनियम 49 के खंड (ग) के उप-खंड (क) के अधीन शीर्षक में "विद्यमान थर्मल उत्पादन केन्द्रों" शब्दों के स्थान पर "1.4.2009 से पूर्व सीओडी प्राप्त करने वाले थर्मल उत्पादन केन्द्रों" शब्द रखे जाएंगे और विनियम 49 के खंड (ग) के उप-खंड (क) के खंड (i) में "विद्यमान" शब्द को हटाया जाएगा;

3. पृष्ठ 47 में, विनियम 49 के खंड (ग) के उप-खंड (ग) के अधीन पंक्ति 4 तथा पंक्ति 2 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:

प्राकृतिक गैस तथा आरएलएनजी के लिए =  $1.050 \times$  यूनिट / ब्लॉक (के सीएएल / के डब्ल्यूएच) की डिज़ाइन हीट दर तरल ईंधन के लिए =  $1.071 \times$  तरल ईंधन के लिए यूनिट / ब्लॉक की डिज़ाइन हीट दर (के सीएएल / के डब्ल्यूएच) ;

4. पृष्ठ 51 में, विनियम 50 के खंड (क) के उप-खंड (4) में सारणी की तैंतीसवीं और चौंतीसवीं पंक्ति में नाथपा झाकड़ी और रामपुर के संबंध में 'आरओआर' शब्द के स्थान पर "जलसंचयन" शब्द रखे जाएंगे।

सनोज कुमार झा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./308/19]

**नोट:** मूल विनियम, भारत के राजपत्र सं. 144 के भाग-III-अनुच्छेद 4 में तारीख 3.5.2019 को प्रकाशित किए गए थे।

## CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION CORRIGENDUM

New Delhi, the 18th September, 2019

**No. L-1/236/2018/CERC.—The following regulations in the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2019 shall be corrected as under:**

1. In page 340, the figure "1000" in the formula specified under clause (5) of Regulation 42 shall be substituted with the figure "10000";
2. In page 347, heading under sub-clause (a) of clause (C) of the Regulation 49, words "Existing Thermal Generating Stations" in heading shall be replaced by the words "Thermal Generating Stations achieving COD before 1.4.2009" and the word "existing" in clause (i) of sub-clause (a) of clause (C) of the Regulation 49 shall be deleted;
3. In page 349, under sub-clause (c) of clause (C) of the Regulation 49, the words "and RLNG" shall be inserted after words "For Natural Gas" in third line and the word "RLNG" shall be replaced by the words "For Liquid Fuel" in fourth line;
4. In page 352, thirty third and thirty fourth row of Table in sub-clause (4) of Clause (A) of Regulation 50, the word 'ROR' in respect of Nathpa Jhakri and Rampur shall be substituted by the word "Pondage".

SANOJ KUMAR JHA, Secy.

[ADV.T.-III/4/Exty./308/19]

**Note:** The principal regulations were published on 3.5.2019 in Part III- Section 4 of Gazette of India No.144.